

डिक्री व मुकदमा इत्दायी)

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत श्री संदीप चौधरी, आर0 ए0 एस0

मुकदमा :- बइजलास : उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ झुंझुनूं (राजस्थान)

बजरगलाल वगै0

बनाम

आयतन वगै0

वाद पत्र - खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर :- 161

सन् :- 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल रूबरू श्री संदीप चौधरी, आर0 ए0 एस0 व हाजरी श्री मनोज बजाज एडवोकेट मनजानिब मुद्दई, श्री भवानी सिंह एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार <sup>सूरजगढ</sup> ~~बिड़वा~~ को 1000/- रुपये कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि विवादित भूमि राजस्व ग्राम सूरजगढ के भूमि खसरा नं0 487 रकबा 1.25 है0, खं0नं0 492 रकबा 1.61 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 2.86 है0 व खं0नं0 489 रकबा 1.46 है0, खं0नं0 495 रकबा 4.93 है0 में से वादीगण के हिस्से व राजस्व रिकोर्ड के अनुसार अलग से खाता विभाजन करें। उक्त विवादित जमीन के मौके पर कब्जा रिकोर्ड के मुताबित बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय रास्ते का भी प्रावधान रखा जावे। तहसीलदार ~~बिड़वा~~ को तहरीर जारी हो। ..... नीज.....

.....मुबालिग .....बाबत .....खर्चा इस मुकदमें के मय सद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख बसूलयाबी तक.....को अदा करें।  
बरवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक .....11.10.2022 माह .....  
मुहर

मुद्दई

रुपया

मुदायलह

रुपया

स्टाम्प अर्जी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
महनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमी नर  
बबत इजराय हुक्मनामा

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अर्जी  
महनताना वकील पर  
खर्चा गवाहान  
फीस कमी नर  
बाबत इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक